राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांक एफ 2(2)ग्रावि/नरेगा/राज्यांश/2009–10 जयपुर, दिनांक

निदेशक,
स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

19 JAN 2010

विषयः–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अंकेक्षण को प्रभावी बनाने के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि आपके विभाग द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं पर ग्राम पंचायत/पंचायत समिति द्वारा व्यय राशि का अंकेक्षण किया जाता है। माननीय मुख्य मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अंकेक्षण को प्रभवी बनाने पर बल दिया गया है।

अतः माननीय मुख्य मंत्री राजस्थान सरकार की बजट घोषणा क्रियान्विति के क्रम में लेख है, कि स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा पंचायत समिति/ग्राम पंचायत का अंकेक्षण करते समय नरेगा योजना पर व्यय राशि के अंकेक्षण में प्रकट हुयी वित्तीय अनियमितताओं की सूचना प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अ.शा. पत्र के माध्यम से प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के ध्यान में लाया जाना सुनिश्चित किया जावे ताकि वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में समय पर अपेक्षित कार्यवाही की जा सके।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीय

16/1/10

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
3. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, राजस्थान।
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजस्थान।
5. समस्त विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, नरेगा, समस्त पंचायत समिति राजस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक सामाजिक अंकेक्षण जयपुर

मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस

C:\Users\wipro\Desktop\ram.doc